20·6·18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभिय**सिणधरी**ल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थीनी उपस्थित। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस तलबी करवाई गई थी। एवं विप्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत नोटिस भी जारी किये गये थे। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिली श्रेणी में है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 49/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
माडूदेवी पत्नि ठाकराराम जाति जाट निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1जालमसिंह 2.हड़मतसिंह पिसरान विरधसिंह 3.जीवराजसिंह पुत्र लालसिंह 4.मंलसिहं 5.धनसिंह पिसरान सुरतानसिंह 6.ऊकसिंह गोदपुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 7.हड़मानराम पुत्र रतनाराम 8.जालाराम पुत्र हेमाराम 9.ईशराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 10.सोनाराम 11.धनाराम पिसरान भूराराम 13.नरीगाराम पुत्र पेमाराम जाति मेधववाल निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 14.तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

जस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल सारण,अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

आदेश

दिनांक–20.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 68 रकबा 54–19 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा ग्राम डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 68 रकबा 54–19 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीनी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। एवं विप्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत नोटिस जारी किये गये। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 68 रकबा 54–19 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि ग्राम डाबड़ भाटियान

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 68 रकबा 54—19 बीधा की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 68 रकबा 54—19 बीधा के प्रार्थीनी रिकार्डड खातेदार है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 से प्रमाणित होता है। इस कारण प्रार्थीनी काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीनी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 68 रकबा 54—19 बीधा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही तहसीलरदार सिणधरी करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीनी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी